



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबै/2025-26/262

विवि.एसटीआर.आरईसी.181/21.04.048/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I - प्रारंभिक	2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	2
बी. प्रयोज्यता	2
सी. परिभाषाएँ	2
अध्याय II - सामान्य अनुदेश	6
ए. सामान्य अनुदेश	6
सी. प्रकटीकरण अपेक्षाएं	8
अध्याय III - आस्ति वर्गीकरण	9
ए. आस्ति वर्गीकरण मानदंड	9
बी. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन	12
सी. प्रतिभूति का मूल्यांकन	12
डी. अनर्जक आस्ति आस्तियों की श्रेणियाँ	13
ई. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन	14
एफ. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन	14
अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड	21
ए. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं	21
अध्याय V - आय निर्धारण	23
ए. आय निर्धारण	23
अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान	25
ए. निरसन और बचाव	25
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं	25
सी. व्याख्याएं	25



प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड (जेए) के अंतर्गत परिभाषित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।
4. इन निदेशों के अतिरिक्त, बैंक को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पुनर्संरचित खातों के लिए अग्रिमों के प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है।

सी. परिभाषाएँ

5. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:



- (1) 'फसल मौसम' से तात्पर्य, प्रत्येक फसल के संबंध में, उस फसल की कटाई तक की अवधि है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित किया गया है;
- (2) 'संदिग्ध आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जो बारह महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो; संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋण में वे सभी कमियां होती हैं जो अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत ऋण में निहित होती हैं, साथ ही यह अतिरिक्त विशेषता भी होती है कि इन कमियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों और मूल्यों के आधार पर पूर्ण वसूली या परिसमापन अत्यंत संदिग्ध और असंभव हो जाता है। यहां भी, अवमानक आस्तियों की तरह, पुनर्निर्धारण से बैंक को ऋण की गुणवत्ता को स्वतः उन्नत करने का अधिकार नहीं मिलता है।
- (3) 'एक्सपोजर' में सभी निधिक और गैर- निधिक एक्सपोजर (हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे।
- (4) 'दीर्घावधि फसलों' से तात्पर्य उन फसलों से है जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होती है;
- (5) 'हानि आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में हानि की पहचान की गई हो, लेकिन बैंक द्वारा उस राशि को पूरी या आंशिक रूप से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो;
- (6) 'अनर्जक आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति भी शामिल है, जिसने बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया हो;
- (7) 'अनियमित दर्जा' – नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) खाता 'अनियमित' माना जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
 - (i) बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से अधिक बनी रहती है;
 - (ii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं हुआ है;



- (iii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन क्रेडिट राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: उप-पैरा (iii) में संदर्भित 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाई जा रही है।

स्पष्टीकरण 2: 'अनियमित दर्जा' की परिभाषा उन सभी क्रेडिट उत्पादों पर लागू होगी जो ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल हैं जो कारोबार प्रयोजन के लिए नहीं हैं और/ या जिनमें केवल ब्याज की चुकौती ही एकमात्र जमा (क्रेडिट) होती है।

- (8) 'अतिदेय' दर्जा – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है;
- (9) 'प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)' से तात्पर्य सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रावधान का अनुपात है और यह दर्शाता है कि ऋण हानियों को कवर करने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी है;
- (10) 'प्रतिभूति' से तात्पर्य बैंक के पास विधिवत रूप से गिरवी रखी गई मूर्त जमानत से है और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी;
- (11) 'अल्प अवधि की फसलों' से तात्पर्य उन फसलों से है जो 'दीर्घ अवधि' की फसलों नहीं हैं;
- (12) 'अवमानक आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जो बारह महीने या उससे कम समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) रही हो; ऐसे मामलों में, उधारकर्ता/गारंटर की वर्तमान निवल आस्ति या गिरवी रखी गई प्रतिभूति का वर्तमान बाजार मूल्य बैंक को देय राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।
6. 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' शब्दों की परिभाषाएँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर [दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21](#) के अनुसार होंगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।



7. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।



अध्याय II - सामान्य अनुदेश

ए. सामान्य अनुदेश

8. 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में बैंक को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:
 - (1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे;
 - (2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी;
 - (3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।
9. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे तब पैरा 8 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. बैंक द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी खातों के संबंध में बैंक को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होगा:
 - (1) यह सुनिश्चित करें कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर हो।
 - (2) आहरण क्षमता निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टॉक विवरण तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए;
 - (3) तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से गणना की गई आहरण क्षमता के आधार पर खाते में बकाया राशि अनियमित मानी जाएगी।
11. नियमित और तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा/नियमितीकरण नियत तिथि/तदर्थ संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाएगा।
12. उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य डेटा की अनुपलब्धता जैसी बाधाओं के मामले में, बैंक को यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि ऋण सीमा का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।



13. पैरा 12 के होते हुए भी, छह महीने से अधिक की देरी को सामान्य अनुशासन के रूप में वांछनीय नहीं माना जाता है। इसलिए, जिस खाते में नियमित/तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा/नवीनीकरण नियत तिथि/तदर्थ स्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाना चाहिए।
14. यदि साख पत्रों के अंतरण या उपयोग की गई गारंटियों से उत्पन्न डेबिट को एक अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में बकाया राशि को भी इन निदेशों के लागू होने के उद्देश्य से उधारकर्ता के प्रधान परिचालन खाते का एक हिस्सा माना जाना चाहिए।
15. बैंक, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।
16. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए बैंक द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

17. बैंक को विशेषकर उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में एनपीए की पहचान में देरी या अधिस्थगन की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उचित आंतरिक प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए। बैंक को अपने कारोबार के स्तर के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए एक न्यूनतम सीमा तय करनी चाहिए कि किस खाते को उच्च मूल्य वाला खाता माना जाएगा। यह सीमा पूरे लेखा वर्ष के लिए मान्य होनी चाहिए।



18. इस प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कारण से आस्ति वर्गीकरण में उत्पन्न संदेह को निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के माध्यम से उस तारीख से एक महीने के भीतर सुलझा लिया जाए, जिस तारीख को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना था।
19. आस्तियों के उचित वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व और सत्यापन स्तर बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
20. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:
 - (1) अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक आस्ति वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;
 - (2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;
 - (3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

बी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

21. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।



अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण

ए. आस्ति वर्गीकरण मानदंड

22. बैंक ऋण या अग्रिम को मानक आस्ति या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो।
23. मानक आस्ति वह है जो किसी भी समस्या का प्रकटीकरण नहीं करती है और जो कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं रखती है।
24. बैंक किसी ऋण या अग्रिम को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

- (1) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक *अतिदेय* रहती है;
- (2) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'अनियमित' रहता है;
- (3) कार्यशील पूंजी उधार खाता जिसमें अनियमित निकासी लगातार 180 दिनों तक की जाती है, भले ही इकाई कार्यरत हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो;
- (4) खरीदे और भूनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है;
- (5) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है;
- (6) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम तक बकाया रहती है;
- (7) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

25. उप-पैराग्राफ 24(5) और 24(6) में निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण मानदंड केवल निम्नलिखित कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे:

- (1) केवल कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित, अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूहों को दिए गए ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा रखता हो]। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:



- (i) किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होगी;
 - (ii) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद और खेत में की जाने वाली अन्य विकासात्मक गतिविधियाँ);
 - (iii) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, ग्रेडिंग और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण;
 - (iv) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले किसानों को 60 लाख रुपये तक का ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हो;
 - (v) गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋणी संकटग्रस्त किसानों को दिए गए ऋण;
 - (vi) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए ऋण;
 - (vii) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय हेतु लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दिए गए ऋण।
- (2) कॉर्पोरेट किसानों, व्यक्तिगत किसानों के किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ)/(एफपीसी), साझेदारी फर्मों और कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न किसानों की सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹4 करोड़ की कुल सीमा तक ऋण। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (i) किसानों को दिए जाने वाले फसल ऋण जिनमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होंगे;
 - (ii) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरणों की खरीद, तकनीकी समाधान, मशीनरी और खेत में की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियाँ);
 - (iii) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, छँटाई और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण ;
 - (iv) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले 2.5 करोड़ रुपये तक के ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हों।



- (3) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस), किसान सेवा सोसाइटियों (एफएसएस) और बड़े आकार वाली आदिवासी बहु प्रयोजनीय समितियों (एलएएमपीएस) को कृषि के लिए ऋण देना।
26. फसलों की अवधि के आधार पर, उपर्युक्त एनपीए मानदंड कृषक द्वारा लिए गए कृषि सावधि ऋणों पर भी लागू होंगे।
 27. बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय, उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह/अर्थसुलभता के आधार पर यथार्थवादी पुनर्भुगतान कार्यक्रम निर्धारित किए जाएं।
 28. पैरा 25 में निर्दिष्ट कृषि ऋणों और गैर-कृषकों को दिए गए सावधि ऋणों के अलावा, एनपीए की पहचान गैर-कृषि अग्रिमों के समान आधार पर की जाएगी, जो वर्तमान में 90 दिनों का चूक मानदंड है।
 29. जहां प्राकृतिक आपदाएं पैरा 25 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कृषि उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता को प्रभावित करती हैं, वहां बैंक राहत उपाय के रूप में स्वयं ही अल्पकालिक उत्पादन ऋण को सावधि ऋण में परिवर्तित करने या पुनर्भुगतान अवधि को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय ले सकता है; और नए अल्पकालिक ऋण की संस्वीकृति समय-समय पर अद्यतन किए गए दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 – आरआरबी के अधीन दे सकता है।
 30. आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होगा, न कि सुविधा-वार। किसी बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, सभी को एनपीए/ एनपीआई माना जाएगा, न कि वह विशेष सुविधा/निवेश या उसका कोई भाग जो अनियमित हो गया हो।
 31. किसी अग्रिम को एनपीए या अन्यथा मानने के उद्देश्य से उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूति या निवल मालियत की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
 32. उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण, जहां तुलन-पत्र की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, सावधानी से और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाते में अंतर्निहित कमजोरी दिखाई देती है, वहां खाते को एनपीए माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंक सांविधिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को खाते के नियमितीकरण के तरीके के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ताकि उनकी निष्पादन स्थिति पर संदेह दूर हो सके।



बी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामलें

33. सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) आदि के विरुद्ध अग्रिम

(1) सावधि जमा के विरुद्ध अग्रिम, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(2) सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

34. केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ, भले ही अतिदेय हों, केवल तभी एनपीए मानी जाएँगी जब सरकार गारंटी का दावा किए जाने पर उसका खंडन कर दे। यह छूट आय निर्धारण के उद्देश्य से नहीं है।

35. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/या मूलधन या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।

36. सहायता संघ के अंतर्गत खातों का आस्ति वर्गीकरण व्यक्तिगत सदस्य की वसूली के रिकॉर्ड और अग्रिमों की वसूली पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होगा। जहां संघीय ऋण व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा भेजे गए धन को सहायता संघ के किसी सदस्य के पास एकत्रित किया जाता है और/या जहां धन प्राप्त करने वाला सहायता संघ सदस्य अन्य सदस्यों के हिस्से को नहीं छोड़ता है, तो खाते को अन्य सदस्यों की बही में सर्विस न किए गए खाते के रूप में माना जाएगा और इसलिए, इसे एनपीए माना जाएगा। सहायता संघ में भाग लेने वाले बैंक को, अतः, अपनी बही में उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए, अग्रणी बैंक से वसूली का अपना हिस्सा अंतरित करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से के अंतरण के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

सी. प्रतिभूति का मूल्यांकन

37. सांविधिक लेखापरीक्षा/समवर्ती लेखापरीक्षा के समय वर्तमान परिसंपत्तियों और उनके मूल्यांकन की जांच की जाएगी।



38. प्रतिभूति के मूल्य के आकलन में अंतर से उत्पन्न होने वाली भिन्नता को कम करने के लिए, 15 लाख रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में निम्नलिखित लागू होगा :

- (1) स्टॉक मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, बड़े अग्रिमों के मामले में बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर शेयर ऑडिट पर विचार किया जा सकता है।
- (2) बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों जैसी संपार्श्विक संपत्तियों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन साल में एक बार किया जाएगा।

डी. अनर्जक आस्ति आस्तियों की श्रेणियाँ

39. बैंक, अनर्जक आस्तियों को, जैसा भी मामला हो, 'अवमानक आस्तियों', 'संदिग्ध आस्तियों' और 'हानि आस्तियों' की श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा।
40. कोई एनपीए जिसे अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्रेडिट कमजोरियां होंगी जो कर्ज के परिसमापन को खतरे में डालती हैं और इस बात की स्पष्ट संभावना होती है कि यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो बैंक को कुछ नुकसान होगा। जिस आस्ति के ब्याज और मूलधन संबंधी ऋण करार की शर्तों को उत्पन्न शुरू होने के बाद पुनः परक्रामीत या पुनर्निर्धारित किया गया हो, उसे अवमानक श्रेणी में रखा जाना चाहिए और पुनः परक्रामीत या पुनर्निर्धारित शर्तों के तहत कम से कम दो वर्षों तक संतोषजनक प्रदर्शन के दौरान उसे इसी श्रेणी में रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्ति का वर्गीकरण उन्नत नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उपर्युक्त शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो।
41. कोई एनपीए जिसे संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें वे सभी कमजोरियां होती हैं जो अवमानक आस्तियों में अंतर्निहित होती हैं, साथ ही यह अतिरिक्त विशेषता भी होती है कि इन कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों और मूल्यों के आधार पर पूर्ण वसूली या परिसमापन अत्यधिक संदिग्ध और असंभव हो जाता है। यहां भी, अवमानक आस्तियों के मामले की तरह, पुनर्निर्धारण किसी बैंक को स्वचालित रूप से ऋण की गुणवत्ता को बढ़ाने का अधिकार नहीं देता है।



42. हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत एनपीए को असंग्रहणीय माना जाता है और इसका मूल्य इतना कम होता है कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में इसका जारी रहना उचित नहीं है, भले ही इसमें कुछ अवशिष्ट या वसूली मूल्य हो।
43. गंभीर साख हानि की स्थिति में किसी आस्ति को वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी आस्तियों को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप से संदिग्ध/हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित मूल्य या नाबार्ड द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य, जैसा भी मामला हो, के 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए को सीधे 'संदिग्ध श्रेणी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा और 'संदिग्ध आस्तियों' पर लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार प्रावधान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/आरबी/नाबार्ड द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे या तो बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा या बैंक द्वारा इसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

ई. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

44. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो।
45. यदि उधारकर्ताओं के पास किसी बैंक से एक से अधिक ऋण सुविधाएँ हैं, तो ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।
46. पुनर्गठन के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्दिष्ट अनुनिदेश लागू होंगे।

एफ. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं का स्वचालन

47. स्वचालन का कवरेज:

(1) आकार, क्षेत्र या सीमा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, अस्थायी ओवरड्राफ्ट सहित सभी उधार खाते, आस्ति वर्गीकरण, उन्नयन और प्रावधान प्रक्रियाओं के लिए स्वचालित



सूचान प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित प्रणाली ('सिस्टम') के अंतर्गत आएं। बैंक के निवेश भी सिस्टम के अंतर्गत आएं।

(2) विनियामक प्रावधानों के अनुपालन में, आस्ति वर्गीकरण नियम सिस्टम में कॉन्फ़िगर किए जाएंगे।

(3) प्रावधान आवश्यकता की गणना भी विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों, सिस्टम में दर्ज प्रतिभूति के मूल्य और प्रावधान आवश्यकताओं पर समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य विनियामक प्रावधानों के लिए पूर्व-निर्धारित नियमों के अनुसार सिस्टम आधारित होगी।

(4) इसके अतिरिक्त, क्षत आस्तियों (एनपीए/ एनपीआई) के मामले में आय निर्धारण/मान्यता रद्द करना सिस्टम द्वारा संचालित होगी और आय खाते से प्रतिवर्ती राशि बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सिस्टम से प्राप्त की जाएगी।

(5) सिस्टम बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के माध्यम से खातों के डाउनग्रेड और अपग्रेड दोनों को करेगा।

48. खातों के अवमूल्यन और उन्नयन दोनों के लिए 'सिस्टम'आधारित आस्ति वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डे-एंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण की स्थिति अद्यतन की जाए। बैंक किसी भी समय आस्तियों को एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की वास्तविक तिथि सहित वर्गीकरण स्थिति रिपोर्ट तैयार करने में भी सक्षम होना चाहिए।

49. स्वचालन के अपवाद: कुछ विशेष परिस्थितियों में सिस्टम-आधारित वर्गीकरण का अपवाद दिया जा सकता है, जिसका न्यूनतम और अस्थायी होने की उम्मीद है। ये अपवाद इन निदेशों के तहत आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों से न होकर स्वचालित वर्गीकरण से संबंधित होंगे और नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।

(1) कोई बैंक सिस्टम आधारित आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप/ओवरराइड का सहारा नहीं लेगा।

(2) किसी भी असाधारण परिस्थिति में, जहां सिस्टम वर्गीकरण को ओवरराइड करने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, वहां कम से कम दो स्तरीय प्राधिकार होना चाहिए। अपवादों को अधिकृत करने के लिए शक्तियों का ऐसा प्रत्यायोजन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होना चाहिए और अधिमानतः केंद्रीकृत स्थान से किया



जाना चाहिए तथा उचित रूप से प्रलेखित होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे किसी भी हस्तक्षेप का उचित लेखापरीक्षा रिकॉर्ड होना चाहिए और समवर्ती एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे मैनुअल हस्तक्षेप की विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(3) बैंक को सभी अपवादों, अर्थात् मैनुअल हस्तक्षेप/ओवरराइड, के लिए लॉग बनाए रखने होंगे, जिनमें दिनांक और टाइम स्टांप; उद्देश्य/कारण; उपयोगकर्ता आईडी, मैनुअल हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम तथा आवश्यक खाता विवरण शामिल होंगे। ये लॉग कम से कम तीन वर्षों तक सुरक्षित रखे जाएंगे और भंडारण अवधि के दौरान इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये लॉग सिस्टम द्वारा तैयार किए जाएंगे।

50. सिस्टम अपेक्षाएं और सिस्टम ऑडिट:

(1) यदि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के बाहर किसी अलग एप्लिकेशन का उपयोग एनपीए/एनपीआई पहचान और/या वर्गीकरण के लिए सिस्टम के रूप में किया जाता है, तो सिस्टम को सीबीएस और/या बैंक के अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन से आवश्यक डेटा तक पहुंच होनी चाहिए और उधारकर्ता/निवेश खातों को एसटीपी के माध्यम से, जहां भी लागू हो, स्वचालित रूप से सीबीएस में अपडेट किया जाएगा।

(2) बैंक को सिस्टम के बिजनेस लॉजिक और अन्य पैरामीटर/कॉन्फिगरेशन को अद्यतन रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम आधारित निर्धारण, वर्गीकरण, प्रावधान और आय निर्धारण विनियामक दिशानिर्देशों के साथ निरंतर रूप से अनुपालन में हैं।

(3) सिस्टम ऑडिट में अच्छी तरह से पारंगत आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा, वर्ष में कम से कम एक बार, आवधिक सिस्टम ऑडिट किया जाना चाहिए, जो सिस्टम पैरामीटर के साथ-साथ इन निदेशों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुपालन के दृष्टिकोण से भी सिस्टम ऑडिट में निपुण हों।

51. एनपीए वर्गीकरण प्रणाली को तैयार करने और बनाए रखने के दौरान बैंक को निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं का पालन करना होगा:

(1) डेटा इनपुट



(i) सिस्टम में किसी भी माध्यम से दर्ज किया गया डेटा बिना किसी ट्रंक्शन के पूरी तरह से कैप्चर और संग्रहीत किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए: टाइम स्टैम्प - दिनांक और समय के साथ, विवरण फ़ील्ड, या कैप्चर किया गया कोई अन्य टेक्स्ट डेटा)।

(ii) यूज़र इनपुट के लिए सिस्टम में आवश्यक वैलिडेशन/वेरिफिकेशन चेक मौजूद होना सुनिश्चित किया जाए, जहां भी लागू हो। ऐसे वैलिडेशन में, दूसरी चीज़ों के अलावा, डेटा टाइप वैलिडेशन, मिन/मैक्स वैल्यू, अपवाद आदि की जांच होनी चाहिए।

(iii) सिस्टम में मैनुअल रूप से डाले गए डेटा के लिए ज़रूरी डेटा वैलिडेशन/चेक सुनिश्चित किया जा, जहाँ भी लागू हो। उदाहरण के लिए, मास्टर डेटा (या बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार सिस्टम में डाले गए आस्ति वर्गीकरण में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर) के साथ ऐसे वैलिडेशन, मार्जिन सेटिंग, अधिस्थगन अवधि, प्रतिभूति मूल्यांकन, चुकौती अनुसूची, अलग-अलग तरह के खाता धारकों (लागू होने के अनुसार) से मैप/लिंक किए गए उत्पाद आदि में आमतौर पर पाई जाने वाली गलत प्रविष्टियों (यह सूची पूरी न होकर केवल उदाहरण के लिए है) से जुड़ी समस्याओं को रोक सकते हैं।

(iv) प्रमाणीकरण और प्राधिकार के बाद ही डेटा इनपुट किया जाएगा।

(2) उपयोगकर्ता एक्सेस प्रबंधन

(i) यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम में सभी 'यूज़र-आईडी' की पहचान विशिष्ट हो। यदि कोई जेनेरिक यूज़र-आईडी उपयोग की जाती है, तो उसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और ऐसी आईडी को उपयोगकर्ता की कर्मचारी आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जेनेरिक आईडी के अंतर्गत की गई गतिविधियों की जवाबदेही तय की जा सके।

(ii) सिस्टम के उपयोगकर्ताओं के लिए दो-कारक या उच्च स्तर के अधिप्रमाणन का प्रावधान करें।

(iii) सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम तक एक्सेस को 'आवश्यकतानुसार / न्यूनतम विशेषाधिकार' के आधार पर प्रतिबंधित करें।



(iv) सिस्टम में दर्ज किए गए लेन-देनों के लिए मेकर चेकर प्राधिकरण/नियंत्रण प्रदान करें (लेन-देनों की उदाहरण सूची में आंतरिक खातों, ग्राहक खातों, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों मापदंडों को अद्यतन/संशोधित करना शामिल है जो क्रेडिट पोर्टफोलियो/ऋण/आस्ति की स्थिति को प्रभावित करते हैं)। इसमें सिस्टम में ऐडमिनिस्ट्रेटर खातों द्वारा किए गए लेन-देन/गतिविधियाँ भी शामिल होंगी। (उदाहरण के लिए: उपयोगकर्ता आईडी, भूमिकाएँ, विशेषाधिकार जिसमें विभिन्न मॉड्यूल तक एक्सेस अधिकार शामिल हैं का सृजन/अद्यतन/संशोधित करना; सिस्टम से संबंधित गतिविधियाँ, जिनमें मास्टर डेटा को अद्यतन करना आदि शामिल हैं, को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी)।

(3) एसटीपी: आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए/एनपीआई वर्गीकरण के लिए सभी महत्वपूर्ण सिस्टम/एड-ऑन सब-सिस्टम/मॉड्यूल आदि के साथ निर्बाध और सुरक्षित तरीके से एसटीपी का प्रावधान और एसटीपी एकीकरण के लिए सहायता प्रदान करें। ऐसा एसटीपी तंत्र किसी मौजूद ग्राहक द्वारा ली गई सभी सुविधाओं (अग्रिम के मामले में) और किसी संस्था के सभी उपकरणों (जहां बैंक ने किसी संस्था में निवेश किया है) को बैंक की कई प्रणालियों में बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के निर्बाध रूप से ध्यान में रखेगा। इसके अलावा, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि यदि एनपीए वर्गीकरण प्रक्रिया सीबीएस के बाहर की जाती है, तो ग्राहक खातों के आस्ति वर्गीकरण सहित अद्यतन खाता स्थिति स्वचालित रूप से सीबीएस में प्रवाहित हो।

(4) बैक-एंड डेटा एक्सेस प्रतिबंध

(i) बैकएंड से डेटा या पैरामीटर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सिस्टम को आवश्यक प्राधिकरण के बाद ही फ्रंटएंड (एप्लिकेशन (जैसे: सीबीएस) से ही, न कि बैकएंड डेटाबेस अपडेट के माध्यम से डेटा आइटम में परिवर्तन करने की अनुमति देनी चाहिए। सिस्टम में एक्सेस, डेटा या पैरामीटर में किए गए किसी भी परिवर्तन के ऑडिट ट्रेल/लॉग, उपयोगकर्ता के विशिष्ट विवरण के साथ दर्ज किए जाने चाहिए।



(ii) दुर्लभ परिस्थितियों में अपवाद होने पर, ऐसे परिवर्तनों को उचित स्तर पर विधिवत अनुमोदित किए जाने चाहिए और दस्तावेजीकृत किए जाने चाहिए। लेखा परीक्षकों को बैक-एंड एक्सेस और किए गए परिवर्तनों की पूरी सूची तैयार करने के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट का प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

(5) ऑडिट लॉग

(i) सभी लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) के अनिवार्य क्षेत्रों (जो लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और भविष्य में लेखापरीक्षा/फॉरेंसिक उद्देश्य के लिए लेन-देन की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं) के विवरण को दर्ज करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल/लॉग के प्रावधान किए जाएंगे।

(ii) मास्टर डेटा में परिवर्तन के लिए लॉग बनाए रखा जाना चाहिए। प्रशासनिक विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ताओं के सिस्टम द्वारा उत्पन्न गतिविधि लॉग भी बनाए रखा जाना चाहिए।

(iii) अभिलेखीय समाधान में एक्सेस नियंत्रण के साथ एन्क्रिप्टेड प्रारूप में लॉग का सुरक्षित भंडारण और प्रतिधारण।

(6) सिस्टम द्वारा जनित एनपीए: एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए आवश्यक सभी पैरामीटर सीबीएस या संबंधित उप-प्रणालियों/मॉड्यूल में इन निदेशों के अनुसार आस्ति कोडों के एनपीए/एनपीआई निर्धारण/वर्गीकरण के लिए दर्ज किए जाएंगे। इसमें एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए सभी पैरामीटरों को दर्ज करने वाली एक अलग एमआईएस रिपोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे पैरामीटर सिस्टम/सब-सिस्टम की संरचना के अनुसार डेटाबेस या एप्लिकेशन में ही कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं।

(7) परीक्षण वातावरण: बैंक में डमी डेटा और सिस्टम के उत्पाद वातावरण के समान कार्यात्मक तर्क के साथ मौजूदा परीक्षण वातावरण पर्यवेक्षकों को उनकी साइट पर पर्यवेक्षण दौरा(ओं) के दौरान आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य बातों के अलावा, यह आवश्यक होगा कि नमूना लेनदेन की समीक्षा की जाए ताकि यह आकलन किया जा सके कि सॉल्यूशन मौजूदा परिवेश में एनपीए/एनपीआई निर्धारण के लिए लागू विनियामक निर्देशों का अनुपालन करता है या नहीं।



52. बैंक को परिचालन स्टाफ द्वारा उपयोग के लिए सिस्टम आधारित एनपीए वर्गीकरण हेतु अपनी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करनी होगी।
53. बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में इन निदेशों के पालन की जांच की जाएगी और अनुपालन न करने की स्थिति में, संबंधित बैंक के खिलाफ उचित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाएगी।



अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड

ए. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

54. बैंक को मानक श्रेणी में कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों के संबंध में 0.25 प्रतिशत और 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र को दिए गए ऋणों के संबंध में 1.00 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।
55. मानक श्रेणी के अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि का 0.40 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।
56. अवमानक श्रेणी के सभी अन्य ऋणों और अग्रिमों के संबंध में कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाएगा। प्रावधान की आवश्यकता निर्धारित करते समय, सावधि जमा, एनएससी, जीवन बीमा पॉलिसियों का अभ्यर्पण मूल्य आदि सहित किसी भी रूप में प्रतिभूति मूल्य को घटाया नहीं जाना चाहिए।
57. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार होंगे:

(1) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान होगा जिस सीमा तक अग्रिम राशि उस मूर्त प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती जिस पर बैंक का वैध सहारा है और वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाता है।

(2) यदि ऊपर क्र.सं. (1) में उल्लिखित से अधिक हो, तो आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, रक्षित भाग (अर्थात् बकाया राशि का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) का 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत निम्नलिखित आधार पर:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम राशि को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान की आवश्यकता (प्रतिशत में)
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	100

उदाहरण I:

31 मार्च 2017 को बकाया राशि: ₹10,000

प्रतिभूति का प्राप्य मूल्य: ₹8,000



वह अवधि जिसके लिए 31 मार्च 2007 को अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी हुई है:
2.5 वर्ष

प्रावधान की आवश्यकता:

की स्थिति के अनुसार	आस्ति वर्गीकरण	रक्षित भाग पर प्रावधान		अरक्षित भाग पर प्रावधान		कुल (₹)
		प्रतिशत	राशि (₹)	प्रतिशत	राशि (₹)	
31 मार्च 2017	संदिग्ध 1-3 वर्ष	30	2400	100	2000	4400
31 मार्च 2018	संदिग्ध > 3 वर्ष	100	8000	100	2000	10000

(3) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में, प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को बकाया शेष राशि से घटाने के बाद ही प्रावधान किया जाएगा।

58. हानि आस्तियों के मामले में, संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आस्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।
59. बैंक को न्यूनतम विवेकपूर्ण स्तरों से काफी ऊपर स्वेच्छा से प्रावधान अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह एक वांछनीय अभ्यास है।
60. जहां पैरा 54 से 59 के अनुसार प्रावधान करना आवश्यक हो, वहां ब्याज उचंत लेखा में रखी गई राशि को प्रावधानों के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा। ब्याज उचंत लेखा में रखी राशि को संबंधित अग्रिमों से घटाया जाएगा और ऐसी कटौतियों के बाद शेष राशि पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।



अध्याय V - आय निर्धारण

ए. आय निर्धारण

61. बैंक केवल 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में ही उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण कर सकता है।
62. सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाओं सहित, 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत न की गई ऋण सुविधाओं के लिए, आय निर्धारण वास्तविक प्राप्ति के आधार पर, अर्थात् नकद आधार पर की जाएगी।
63. एक बार किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए, तो बीते समय में अर्जित और आय खाते में जमा किया गया पूरा ब्याज, उस सीमा तक प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए जहाँ तक वह अप्राप्त रहता है।
64. बैंक को अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को आय खाते में नहीं लेना चाहिए। अनर्जक आस्तियों पर ब्याज न लेना विवेकपूर्ण आंतरिक लेखांकन प्रक्रिया है ताकि ऐसे ब्याज, जिसका प्राप्त होना संभव नहीं है, की राशि को जोड़कर आय में मुद्रास्फीति से बचा जा सके। इससे उधारकर्ताओं से समय पर पूर्ण ब्याज वसूल करने के बैंक के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, इसे किसी भी तरह से उधारकर्ताओं से देय ब्याज की छूट के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
65. पैरा 64 के होते हुए भी, सावधि जमा, एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध दिए गए अग्रिमों पर ब्याज देय तिथि पर आय खाते में लिया जा सकता है, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।
66. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, उन खातों, जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दी गई 'पुनर्गठन' की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।
67. इस उद्देश्य के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच स्पष्ट करार के अभाव में, बैंक को लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए और वसूली के विनियोजन के अधिकार का प्रयोग एक समान और सुसंगत तरीके से करना चाहिए।



68. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की संस्वीकृति के समय अनुमत) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो ऐसी अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज को प्रतिवर्तित करनेकी आवश्यकता नहीं है।



अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

69. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।
70. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
- (3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

71. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

72. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे



तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)